Fax.

संख्या– 205/9–9–10–05तृ.रा.वि.आ. /10

प्रेषक,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 28 जनवरी, 2011

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या–530 लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी संस्तुति संख्या–530 में निम्न संस्तुति की गयी हैः–

"दिनॉक 01.08.1990 को राज्य सरकार द्वारा पथकर समाप्त किए जाने के पूर्व छावनी परिषदों को मुआवजे के रूप में कुछ भुगतान सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। उक्त तिथि के बाद ऐसा किया जाना उचित नहीं रह गया। अतः उक्त तिथि से अब तक मुआवजे के रूप में दिये गये भुगतान की राशि वापस ली जाय और भविष्य में इस प्रकार का कोई भुगतान छावनी परिषदों को न किया जाय। यदि राज्य सरकार की कोई अचल सम्पत्ति छावनी परिषद् क्षेत्र में स्थित हो तो उक्त से सम्बन्धित सेवा शुल्क अथवा देय भुगतान छावनी परिषद् को नियमानुसार मॉगे जाने पर अवश्य किया जाय।"

उक्त संस्तुति राज्य सरकार द्वारा इस संशोधन के साथ स्वीकार की गयी है कि छावनी परिषदों को दिये गये अनुदान वापस न लिये जाय।

2– अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भविष्य में उक्त मद में छावनी परिषदों को कोई भुगतान न किया जाय तथा पूर्व में भुगतान की गयी अनुदान की धनराशि वापस न ली जाय। यदि राज्य सरकार की कोई अचल सम्पत्ति छावनी परिषद् क्षेत्र में स्थित हो

तो उक्त से सम्बन्धित सेवा शुल्क अथवा देय भुगतान छावनी परिषद् को नियमानुसार माँगे जाने पर अवश्य किया जाय।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव

संख्या एंव दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2– समस्त नगर आयुक्त उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद उत्तर प्रदेश।
4– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पलिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।(द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)

5. वेब अधिकारी-।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव